न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 02 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मोहनसिंह पुत्र पुजराजसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत(सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.अनोपसिंह पुत्र परवतसिंह
2.राणीदान पुत्र पुजराजसिंह जातियान राजपूत निवासीयान चारणेत(सवाऊ पदमसिंह) तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रवन्धक महोदय JTGB सवाऊ पदमसिंह
4.श्रीमान तहसीलदार महो. गिड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 07 / 2018 बअनवान अनोपसिंह बनाम राणीदान वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.10.2020।

उपस्थित

1. वकील श्री पवन सिंहल व श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.05.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चारणेत पटवार हल्का सवाऊ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 113 रकबा 69.16 बीघा में आनु जाने हेतु खसरा संख्या 147 / 95 रकबा 47.00 बीघा में नया रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया उक्त खसरा नम्बर 147 / 95 के रेकर्डेड खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 को जरिये नोटिस तलब किया गया। लेकिन अपीलांट जो की जैसलमेर जिला में आवास करता है जिसका नोटिस रेस्पोडेंट संख्या 01 ने तामील कुन्निदा से मिलावट कर अपीलांट की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई तथा गलत तामील होना बता कर अपीलांट को जबाव का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातेहत द्वारा तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट बनाने हेतु आदेश दिये गये लेकिन तहसीलदार गिड़ा स्वयं मौके पर नहीं आये तथा हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट बनाने हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिकृत कर दिया तथा हल्का पटवारी भी मौका पर नहीं आये तथा मौका रिपोर्ट बना कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक/निकटतम रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। मौका रिपोर्ट में जो नया रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त नये रास्ते की भूमि में अपीलांट की रहवासी ढाणी, पानी का टांका आ रहे है। प्रस्तावित रास्ता दिये जाने से अपीलांट की रहवासी ढाणी तथा पानी का टांका ध्वस्त हो जावेगे जिससे अपीलांट बेघर हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने जानबुझकर अपीलकर्ता को नुकसान पहुचाने की नीयत से ही अपीलांट को व्यक्तिगत तामील तक नहीं करवाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। यदि हाजा न्यायालय इसके बावजूद भी मेरे खातेदारी के खेत में से रास्ता प्रस्तावित करता है तो मैं अपने खेत खसरा संख्या 147/95 की दक्षीणी माठ जो खसरा नं. 183/112 के उभयनिष्ठ है के समान्तर देने को सहमत हूं जो लघुतम दूरी वाला है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। यदि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की सहमति अनुसार रास्ता दिया जाता है तो मैं रास्ता लेने हेतु तैयार हूं। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी अर्सा कुछ समय पूर्व जब रेसपाडेंट संख्या 01 ने अपीलाधीन आदेश की आड़ में नामान्तरकरण भरवा कर मौके पर दखलदांजी करनी प्रारम्भ की तब जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 30.12.2021 को आवश्यक नकले मांगी गई जो नकले तैयार होकर अपीलांट को दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त हुई, तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ता लंबी दूरी का है इससे भी कम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 147/95 की दक्षीणी माठ, जो खसरा संख्या 183/112 के उभयनिष्ठ है के समान्तर पर स्थिति जो अपीलांट देने हेतु सहमत है। खसरा संख्या 147/95 में अपीलांट के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 02 भी खातेदार है जिसकी सहमति नहीं होने से अपीलांट अकेले के प्रस्ताव अनुसार रास्ता अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
ब्यावर

समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 07/2018 बअनवान अनोपसिंह बनाम राणीदान वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.10.2020 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम दूरी वाला रास्ता खसरा संख्या 147/95 की दक्षीणी माठ, जो खसरा संख्या 183/112 के उभयनिष्ठ है के समान्तर पर स्थिति है जिसे बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए दिया जावे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई हो तो आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर